आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर

पी0डी0एस0 पुनरीक्षण वाद संख्या –111/2021
इरफान हसन
बनाम
राज्य सरकार व अन्य

आदेश

अनुसूची 14– फार्म संख्या–563

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	*आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर*	*आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ*
10.04.2023	यह वाद माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJC No. 9964/2020 में दिनांक–30.11.2021 को पारित आदेश के आलोक में समाहर्त्ता, पुर्वी चम्पारण, मोतिहारी द्वारा पी0डी0एस0 अपील वाद सं0–12/2018 में दिनांक 29.11.2019 को पारित आदेश से असंतुष्ट होकर दायर किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 30.11.2021 को पारित आदेश का अंश निम्न प्रकार है :– **"Accordingly, the present writ petition stands disposed of as not pressed, however, with the aforesaid liberty and in case appropriate representation/revision petition is filed by the petitioner against the aforesaid order dated 29.11.2019, before the concerned Divisional Commissioner, within a period of four weeks from today, the same shall be considered on merits and disposed off within a period of eight weeks, thereafter."** वाद का सारांश यह है कि ग्राम पंचायत– कोइलहरा के उपभोक्ताओं द्वारा जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण के समक्ष दिनांक 10.12.2014 को मो० इरफान हसन, जन वितरण प्रणाली विक्रेता के विरूद्ध शिकायत की गई। उक्त शिकायत के आलोक में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी–सह–अंचलाधिकारी, मधुबन द्वारा दिनांक	

WEB COPY NOT OFFICIAL

10.12.2014 को स्थल जाँच की गई। जाँच के दौरान ललिता देवी एवं अन्य कुल 18 लाभूकों के द्वारा दर्ज किये गये बयान के साथ जाँच प्रतिवेदन अनुमंडल पदाधिकारी, पकड़ीदयाल को उपलब्ध कराया गया। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, मधूबन द्वारा विक्रेता के विरूद्ध अनियमितता एवं कालाबाजारी के मामले में स्थानीय थाना में प्राथमिकी सं0–308/2014 दर्ज कराकर अनुमंडल पदाधिकारी, पकड़ीदयाल को सूचित किया गया। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, मधूबन द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि विक्रेता द्वारा मार्च 2014 से अक्टूबर 2014 के बीच उठाव की गई खाद्यान्न से मात्र जुन, जुलाई एवं अगस्त 2014 का ही खाद्यान्न वितरण किया गया।

अनुमंडल पदाधिकारी, पकड़ीदयाल के ज्ञापांक 2360 दिनांक 13.12.2014 द्वारा मो० इरफान हसन, जन वितरण प्रणाली विक्रेता से कारण–पृच्छा की मांग की गई। आरोपी द्वारा कारण–पृच्छा लेने से इंकार करने पर दुबारा द्वितीय कारण–पृच्छा ज्ञापांक 2502 दिनांक 31.12.2014 द्वारा जारी किया गया। पुनरीक्षणकर्ता द्वारा तामिला प्राप्त करने के बावजूद कारण–पृच्छा का जवाब नहीं दिया गया। प्रथम कारण–पृच्छा लेने से इंकार करने एवं द्वितीय कारण–पृच्छा प्राप्त होने के बावजूद स्पष्टीकरण का जवाब नही देने के कारण एवं कालाबाजारी के आरोप में अनुमंडल पदाधिकारी, पकड़ीदयाल द्वारा विक्रेता की अनुज्ञप्ति रद्द कर दी गई। उपर्युक्त आदेश के विरूद्ध विक्रेता द्वारा समाहर्त्ता, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के समक्ष अपीलवाद सं0–12/2018 दायर किया गया। समाहर्त्ता द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, पकड़ीदयाल के आदेश को बहाल रखा गया।

पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि विक्रेता के विरूद्ध किसी उपभोक्ता द्वारा शिकायत नहीं की गई। दिनांक 10.12.2014 को जिला पदाधिकारी के समक्ष शिकायत किया जाना, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, मधुबन द्वारा उसी दिन जाँच करना और थाना में एफ0आई0आर0 (प्राथमिकी) दर्ज कराना एक ही दिन में क्यों और कैसे संभव हो गया ? दर्ज प्राथमिकी के आधार पर अपीलार्थी को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया। माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा जमानत स्वीकृत करने पर कारावास से छुटा। पुनरीक्षणकर्ता द्वारा कभी भी कारण–पृच्छा देने से इंकार नहीं किया गया। अपीलार्थी को कारण–पृच्छा नोटिस के

WEB COPY NOT OFFICIAL

बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी। उपभोक्ताओं द्वारा जिलाधिकारी के जनता दरबार में आवेदन दिया गया कि विक्रेता द्वारा नियमित रूप से खाद्यान्न का वितरण किया जाता है। अतएव जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी और अनुमंडल पदाधिकारी, पकड़ीदयाल का आदेश अवैध एवं निरस्त होने योग्य है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक का कहना है कि पुनरीक्षणकर्ता (मो0 इरफान हसन), जन वितरण प्रणाली विक्रेता के दुकान की जाँच में अधिक मात्रा में खाद्यान्न पाया गया, जो कालाबाजारी के लिए रखा गया था। विक्रेता द्वारा दो माह के खाद्यान्न का उठाव कर एक माह के खाद्यान्न का ही वितरण किया गया था। इससे स्पष्ट होता है कि विक्रेता खाद्यान्न के कालाबाजारी में संलिप्त थे। अतएव अनुमंडल पदाधिकारी, पकड़ीदयाल एवं जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी का आदेश नियमानुकूल है एवं पुनरीक्षणकर्ता का पुनरीक्षणवाद खारिज होने योग्य है।

पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुनने, वाद अभिलेख एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख में पोषित कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उपभोक्ताओं के शिकायत के आलोक में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, मधुबन द्वारा विक्रेता के दुकान की जाँच की गई। जाँच में पाया गया कि खाद्यान्न का उठाव करने के बाद भी उपभोक्ताओं के बीच वितरण नहीं किया गया। अनियमितता एवं कालाबाजारी के आरोप मे प्राथमिकी दर्ज की गयी। विक्रेता को कारण–पृच्छा का जवाब दाखिल करने हेतु कई अवसर प्रदान करने के बावजूद विक्रेता द्वारा कारण–पृच्छा का जवाब समर्पित नहीं किया गया।

खाद्यान्न का उठाव कर वितरण नहीं करना, कालाबाजारी करना, स्पष्टीकरण का जवाब नहीं देना आदि गंभीर प्रकृति का आरोप है। ***"बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016*** की कंडिका 14 (i) में अंकित है कि ***"अनुज्ञप्तिधारी राशन कार्ड धारक को लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन उसकी हकदारी के अनुसार खाद्यान्नों एवं अन्य वस्तुओं का वितरण विहित खुदरा मूल्य पर करेगा एवं उसके द्वारा भंडार में पड़ी आवश्यक वस्तुओं को उसकी हकदारी के अनुसार देने से***

WEB COPY NOT OFFICIAL

इन्कार नहीं करेगा।'' साथ ही अनुज्ञा पत्र के कंडिका–6 में अंकित है कि ***''अनुज्ञप्तिधारी राशन कार्डधारियों को आवश्यक वस्तुओं का वितरण उनके हकदारी के अनुसार निर्धारित दर पर करेगा।''***

इस प्रकार विक्रेता द्वारा ***''बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016''*** में निहित प्रावधान एवं अनुज्ञप्ति के शर्तो का उल्लंघन किया गया है। अतएव अनुमंडल पदाधिकारी, पकड़ीदयाल एवं समाहर्त्ता, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी द्वारा पारित आदेश नियमानुकूल है, जिसमें संशोधन की आवश्यकता नहीं पाते हुए प्रस्तुत पुनरीक्षणवाद को अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त **आयुक्त**

WEB COPY NOT OFFICIAL

WEB COPY NOT OFFICIAL